न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पाठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या :– 26 / 2020
दायर दिनांक :– 25 / 06 / 2020
निर्णय दिनांक :– 27 / 08 / 2025

अनवान

1. नगजीराम पिता अमरा जाट निवासी छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. भैरुलाल पिता अमरा जाट निवासी छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाली बाई पत्नि माधु जाट निवासी छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. लक्ष्मी पुत्री माधु पत्नि प्रभुलाल जाट निवासी छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित :–
अधिवक्ता वादीगण – श्री प्रकाशचन्द्र खटीक अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण –श्री राकेश कुमार सनाढ्य अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक मुल वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरुद्व सच्चे एवं ठोस आधारो पर आप न्यायालय प्रस्तुत किया गया हैं। जिससे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावंना हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपुर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति नगदी में सम्भव नही होगी व प्रार्थीगण अपने सिविल अधिकारो से वंछित हो जायेगा। इसके विपरीत विपक्षगण के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जारी करने की अवस्था में किसी भी प्रकार की क्षतिकारित नही होगी। ग्राम छडंगालेडी पटवार हल्का सांरोरा की वर्तमान जमाबंदी संख्या 57 में निम्न आराजीयात स्थित है आराजी संख्या 255, 257 258, 259, 260, 279, 280, 318, 319, 320, 321, 325 कुल किता 12 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा प्रमाण में वर्तमान नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 01 व 02 का संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण का संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकन हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख 03 में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मूं खाता सामलाती दर्ज है मौके पर आपसी सहमति स्वीकृति के विभाजन कर रखा हैं। लेकिन आये दिन मेडबन्दी सीमांकन चिन्ह एवं रकबा बाबत पक्षकारान (खातेदारान) के बीच आये दिन लडाई झगडा होता रहता है तथा प्रार्थीगण को विपक्षीगण कहते है कि हमारा सीमांकन चिन्ह ईधर है थोहर बाड हमारी है एवं लगान भी समय पर जमा नही हो पाता हैऐसी स्थिति में भूमियों का विकास नही हो पाता है। इसलिये भूमियों का विकास हो सके एवं लगान जमा कराने में सुविधा हो सके तथा विपक्षीगण एवं प्रार्थीगण के बीच उक्त आराजीयात संबंधी कोई विवाद नही हो इसलिये वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का विभाजन कानुनन किये जाने की आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार आराजीयात पर कब्जा होकर निरन्तर निर्वघ्न कब्जे काश्त कर रहे हैं। इसलिये विभाजन कब्जे को मध्यनजर रखते हुये विभाजन किये जाने की आवश्यकता है जिससे विभाजन का यह वाद आप न्यायलय में सादर प्रस्तुत है ताकि कानुनन विभाजन हो जाने से प्रार्थीगण अपने खेत के हिस्से अनूसार स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त कर कब्जे काश्त कर सके। जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी नही बढ सके। प्रार्थीगण के हिस्से की विभाजन हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात में विपक्षी संख्या 01 से जगायत 02 प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कब्जे काश्त में हस्तक्षेप दखलन्दाजी बाध कारित नही करे न ही सवंय करे न ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट से करावे एवं दौराने वाद/ प्रार्थना पत्र भी विपक्षीगण इस तरह कृम्य नही करे इस हेतु विपक्षी संख्या 01 व 02 को निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता हैं। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित नही किया गया तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में सम्भव नही होगी। इसलिये विपक्षीगण के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की नितान्त आवश्यकता हैं। इस हेतु यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं। खातेदार मु. वरदी बेवा अमरा की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण ही है एवं खातेदार गाधु पिता केला की मृत्य हो चुकी है परन्तु विरासत का नामान्तरकरण नही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खुला है जिससे उनके वारिसान विपक्षी संख्या 01 व 02 को ही पक्षकार बनाया गया हैं। विपक्षी संख्या 03 सरकार एवं भूमिधारक होने से राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते है इसलिये पक्षकार बनाया गया है बल्कि इनके विरुद्व कोई अनुतोष इस वाद /प्रार्थना पत्र में नही चाहा गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतुक दिनाक 11.06.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण अपने खेत पर अर्थात वादग्रस्त आराजीयात पर गये तो विपक्षीगण लडाई झगडा करने पर उतारु हो गये और सीमा संबंधित व कब्जा संबंधित विवाद करने लग गये। वादीगण द्वारा कहा गया कि आपसी सहमति से विभाजन करा लेवे तो विपक्षीगण ने मना कर दिया जिससे यह वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात गांव छडंगाखेडी में स्थित होने से तथा वाद के पक्षकारान आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में निवास करने से प्रार्थना पत्र श्रवणा व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र का मुल्यांकन 1,000/– रुपये कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क 2/– रुपये पर अन्दर अवधि पेश हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मुलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में किसी भी रुप में हस्तेक्षेप दखलन्दाजी बाधा अवरोध कारित नही करे न ही स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें इस हेतु विपक्षीगण के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 के विवरण में प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है किन्तु वह झुठे व मन मकसुद तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीगण के मुकाबले विपक्षीगण को सफलता मिलने की पुरी पुरी संभावना हें।प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 के विवरण में प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा संतुलन के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर ये तीनों बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में हैं। यदि विपक्षीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है तो विपक्षीगण की अपुरर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति नकदी मे किसी भी प्रकार संभव नही होगी। जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षतिकारित नही होगी। पार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण में उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संयुक्त रुप से राजस्व रेकार्ड में जरुर अंकित है परन्तु उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम पर गलत रुप से 1/2 हिस्सा से अंकेत हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रुप में वर्णित किया गया उस रुप में गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण भारा उक्त वाद राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा से हिस्सा दर्ज होने से गलत रुप उक्त वाद प्रार्थना पत्र हम विपक्षीगण के विरुद्व प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रुप में वर्णित किया गया है उस रुप में गलत होकर अस्वीकार है वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के दादाजी स्वर्गीय खेमा पिता देवा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अेकित थी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत हैं। वादग्रस्त कृषि आराजीयात विपक्षीगण संख्या 01 के परदादा ससुर व विपक्षी संख्या 02 के परदादा स्वर्गीय खेमा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अेकित थी स्वर्गीय खेमा के नाम पर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजीयात जिनके साबिक आराजी संख्या 126, 127, 141/2, 156 जिनके वर्तमान आ. न. 259, 260, 280, 318, 319 बने वह उपरोक्त आराजीयात सवर्गीय खेमा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी उपरोक्त आराजीयात तन्हा विपक्षीगण के पति व पिता को प्राप्त होनी चाहिये थी परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रुप से प्रार्थीगण के पुर्वज अमरा के नाम पर दर्ज कर दी तथा उसी का गलत नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की तन्हा उपयोग उपभोग की जमीन को हडपने के इरादे से उक्त झुठा प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया गया हैं। साबिक आराजी संख्या 121,124, व 155 जिसके वर्तमान आ.न. 255, 257, 258 व 325 बने है उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पुर्वज शम्भु व विपक्षीगण के पंर्वज खेमा के नाम पर संयुक्त रुपण राजस्व रेकार्ड में अंकित थी एवं उपरोक्त आराजीयात में ही प्रार्थीगण विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। तथा कथिंत वाद प्रार्थना पत्र द्वारा मात्र राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो काबिज निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जिस रुप में वर्णित किया गया उस रुप में गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण विपक्षी के विरुद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं, प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण प्रार्थीगण स्वंय शिद्ध करे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण कानुनी होकर जांच से संबंधित हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। दिनांक 11.06.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

2020 को कोई प्रार्थना पत्र हेतु उत्पन्न नही हुआ बल्कि प्रार्थीगण द्वारा जबरन विपक्षीगण के स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात को हड़पने के लिए धमकिया दी एवं उक्त झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रथम दृष्टया ही काबील निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण कानुनी होकर जांच से संबंधित हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण कानुनी होकर जांच से संबंधित हैं। शेष प्रार्थीगण की प्रार्थना है जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नही हैं। प्रतिप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज स्वर्गीय देवा का वंश वृक्ष निम्न प्रकार हैं। स्वर्गीय देवा के दो पुत्र खेमा व शम्भु हुए जिनमे शम्भु लाओलाद फोत हुआ तथा स्वर्गीय खेमा के दो लड़के केला व अमरा हुए जिनमे अमरा शम्भु के गोद चला गया तथा स्वर्गीय शम्भु के नाम स्थित सारी कृषि भुमि शम्भु के मरने के पश्चात अमरा को प्राप्त हुई तथा खेमा की सारी सम्पति स्वर्गीय केला को प्राप्त हुई केला के दो पुत्र वेणा व माधु हुए जिनमें वेणा लाओलाद फोत हुआ जिससे उसकी सारी जमीन माधु को प्राप्त हुई, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अमरा के शम्भु के गोद चले जाने से स्वर्गीय खेमा के नाम स्थित सारी सम्पति उसके अधिकार स्वतः समाप्त हो गये तथा वादग्रस्त कृषि आराजीयात जो स्वर्गीय खेमा के नाम थी वह सर्म्पुण आराजियात के तन्हा मालीक विपक्षीगण संख्या 01 व0 2 ही रहे व वही काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। साबिक आराजी संख्या 126 रकबा 2.12 साबिक आराजी संख्या 127 रकबा 1.02 साबिक आराजही संख्या 141/2 रकबा 1.11 व साबिक आराजी संख्या 156 रकबा 3.09 विपक्षीगण के पुर्वज स्वर्गीय खेमा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 123 रकबा 2.04 साबिक आराजी संख्या 153 रकबा 2.14 साबिक आराजी संख्या 152 मीन साबिक आराजी संख्या 119 व अन्य आराजीयात शम्भु वल्द देवा जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी तथा कुछआराजीयात शम्भु वल्द देवा व खेमा वल्द देवा के संयुक्त रुप से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी जिनके साबिक आराजी नम्बर 121 रकबा 04 बिस्वा आ. वाह आराजी संख्या 142 रकबा 1.01 साबिक आराजी संख्या 155 रकबा 01 बिस्वा खंडडा संयुक्त रुपेण राजस्व रेकार्ड में अंकित थी नकल महक में बदोबस्त राजस्व मेवाड की जमाबंदी प्रस्तुत हैं। साबिक आराजी के वर्तमान आराजी निम्न प्रकार हैं। 255, 257, 258, 259, 260, 279, 280, 318, 319, 320, 321, 325 कुल किता 12 कुल रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा उपरोक्त वर्तमान आराजीयात 259 रकबा 3.14 आराजी संख्या 260 रकबा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1.06, 279 रकबा 1.01, आ. न. 280 रकबा 0.18, आ. न.318 रकबा 2.08 व आ.न. 319 रकबा 2.03 भूमि जो कि स्वर्गीय खेमा के तन्हा स्वामित्व की थी उपरोक्त भुमिया खेमा के मृत्यु पश्चात विपक्षीगण के पति व पिता की प्राप्त हुई तथा पिता व पति की मृत्यु चश्चात उपरोक्त भुमिया तन्हा 01 मात्र रुप से विपक्षीगण संख्या 01 व 02 काबिज होकर उपयोग उपभोग साधिकारूप से करती चली आ रही हैं उपरोक्त कृषि भुमियों में प्रार्थीगण का किसी भी रूप में कानुनन कोई हक, अधिकार नही हैं परन्तु राजस्व रेकार्ड में गलत रूपेण 1/2 हिस्सा से अंकन हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा आये दिन विपक्षीगण को जलील व परेशान व जबरन कब्जा करने की धमकिया कारित करते हैं, जिस कारण उपरोक्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थीगण के विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 व0 2 की ओर से उक्त प्रतिप प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रार्थीगण प्रस्तुत किया जा रहा हैं, तथा उपरोक्त कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम जो वर्तमान राजस्व रेकाड्ड में अंकित है उसे विलोपित कराया जाकर विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के नाम उपरोक्त कृषि आराजीयात एकल स्वामित्व की धोषणा फरमायी जावें। यह कि उपरोक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर घोषित होने के पश्चात प्रार्थीगण विपक्षीगण के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा, रूकावट या हस्तक्षेप कारित नही करे जिससे उन्हे जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाये जाने हेतु न्यायालय में आवश्यक हैं जिस निमित भी प्रतिप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। यह कि प्रतित प्रार्थना पत्र का हेतुक प्रार्थीगण को आज से करीबन 02 माह पुर्व अपरोक्त आरजीयात विपक्षीगण संख्या 01 व02 के नाम पर करवाने हेतु कहां तो प्रार्थीगण के द्वारा मना करने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। यह कि प्रतित वादग्रस्त कृषि आराजीयात मौजा छड़गाखेड़ी में स्थित होने से तथा पक्षकारान भी न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार में निवास होने से प्रतित प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रित हैं। यह कि प्रतित प्रार्थना पत्र निश्चित न्यायालय शुल्क 1.00 रूपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। यह कि प्रतिवादीगण ने एक प्रतिप वाद पत्र विरूद्ध वादीगण के सच्चे एवं ठोस आधोर पर आप न्यायालय प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें विपक्षीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना हैं यह कि विपक्षीगण का दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में हैं यदि विपक्षीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो विपक्षीगण को अपुरर्णीय क्षति कारीत होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नही होगी एवं विपक्षीगण अपने हक अधिकारों से वंचित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हो जायेगे इसके विपरित प्राथी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की अवस्था में किसी भी प्रकार की क्षति कारित नहीं होगी। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण संख्या 01 व0 2 दो की ओर से प्रस्तुत प्रतिप अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावकर प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित आराजिगात के संबंध में विपक्षीगण के उपयोग-उपभोग कृषि कार्य में प्रार्थीगण किसी प्रकार से बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत् प्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिबंधित फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अभिलेखका प्राथी ने प्रतिप प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। क्योंकि स्व. देवा का जो सजरा बनाया है वो गलत बनाया है बल्कि शम्भु लाओलाद फोत हुआ है और शम्भु के अमरा गोद नही गया है बल्कि प्रार्थीगण नगजीराम व भैरु जो कि अमरा पिता देवा के पुत्र है। इसलिये जो सजरा बनाया है उसमें अमरा गोद जाना बताया है वो गलत है शम्भु लाओलाद फासेत हुआ है और इसकी जो सम्पत्ति थी उसको केला व अमरा द्वारा दोनों भाईयों ने आपसी से विभाजन कर अपने नाम पर करवा ली। केला व अमरा के विधिक वारिस जो प्रार्थी एवं विपक्षगण है ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात का आपसी विभाजन मौके पर कर रखा है और उपयोग उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रेकार्ड में विभाजन नही हुआ है इसलिये जो तथ्य वर्णित किये है वो गलत वर्णित किये हैं। प्रतिप पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। साबिक आराजी नम्बर 126, 127, 41/2, 156, 123, 153, 152 मीन 119, 124, 155, 121 जो कि पूर्व में खेमा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन व खेमा की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम पर अंकन हुई। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण सही होकर स्वीकार हैं। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 259, 260, 279, 280, 318, 319 जो कि स्व. खेमा के नाम की सम्पत्तियां है जो कि मेवाड राज्य के समय से ही खेमा के नाम पर है और खेमा की ही आराजीयात है। खेमा की मृत्यु के पश्चात केला और अमरा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन हुई। अमरा की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रार्थीगणके नाम पर उक्त आराजीयात अंकित हुई और केला की मृत्यु हो जाने पर वेणा व माधु के नाम पर अंकन हुई वेणा लाओलाद फोत हुआ जिससे उक्त आराजीयात माधु के नाम पर अंकन हुई व माधु के पश्चात विपक्षी बाली के नाम पर अंकित हुई। इसलिये खेमा की उपरोक्त वर्णित आराजीयात है खेमा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के दो पुत्र केला व अमरा हुऐ है इसलिये केला व अमरा ने उक्त आराजीयात में 1/2–/2 हिस्सा बराबर बांट लिया व वर्तमान में यही हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकन व इसी अनुरुप प्रार्थीगण विभाजन चाहते है। प्रार्थीगण के द्वारा कोई कब्जा करने की धमकियां नही दी गई इसलिये उक्त आराजीयात को विपक्षीगण कोई धोषणा नही करा सकते है क्योंकि प्रार्थीगण की पैतृक आराजीयात है। प्रार्थीगण के ही स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात है इसलिये विपक्षीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी नही हैं। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही की जा रही है। इसलिये विपक्षीगण कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 के विवरण में निवेदन है कि विपक्षीगण का कोई प्रतिप प्रार्थना पत्रहेतुक उत्पन्न नही है मनगढंत तथ्यों पर आधरित प्रतिप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जो स्वीकार योग्य नही है। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण कानुनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं हैं। प्रतिप प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण कानुनी होकर जवाब की आवश्यकता नही हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 के विवरण विपक्षीगण ने प्रतिप वादपत्र अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रतिप वादपत्र झुंठे एवं मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जिससे विपक्षीगण को कोई सफलता मिलने की उम्मीद नही हैं। शेष कलम विपक्षीगण की प्रार्थना है जो मिथ्यों पर आधारित है जिसकों सव्यय निरस्त फरमाया जावे और प्रतिप प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रतिप प्रार्थना के जवाब को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विपक्षी का प्रतिप प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा इसके खण्डन में विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना एवं प्रतिप प्रार्थना पत्र को दोहराया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं विपक्षी का प्रतिप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया एवं पत्रावली, उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रतिप प्रार्थना का जवाब तथा विपक्षी के जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रतिप प्रार्थना पत्र में अंकित ईबारत विधि एवं प्रश्नों का मिश्रण है। जिसका निस्तारण मूल वाद में विवाद्यक बिन्दु कायम कर, साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर ही संभव हो सकेगा किन्तु यदि दौरान वाद उक्त वादग्रस्त भूमियों को खुर्द–बुर्द किया जाता है या रेकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो पक्षकारान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के मध्य अनावश्यक पैचिदगीया एवं मुकदमेंबाजी बढने की संभावना है। जिससे दौराने वाद रेकार्ड की मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम छडंगाखेडी पटवार हल्का सांसेरा स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 255, 257 258, 259, 260, 279, 280, 318, 319, 320, 321, 325 कुल किता 12 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा की उभय पक्ष द्वारा तामूलवाद निस्तारण तक वर्तमान मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। इस हेतु प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा